कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायगढ़,(छ.ग.)

//आदेश//

क्र./ 14020/वित्त–लेखा/2017 रायगढ़,दिनांक 04/10/2017

श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/आठ/न्य.वेत./श्र.आ./2017/7540 दिनांक 23.09.2017 के साथ संलग्न पुस्तिका के अनुसूची 'ग' में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा उस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है, निर्धारित किया गया है, के परिपेक्ष्य में छ.ग. वित्त संहिता भाग–2 के परिशिष्ठ–6 के नियम 43 में निहित प्रावधानों एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 303/आर/577/92/नि–5/चार दिनांक 30.06.1992 तथा छ.ग राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा–2 (घ) में निहित शक्तियों के अनुसार मैं श्रीमती शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. कलेक्टर रायगढ़,(छ.ग.) जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक के लिए निम्नानुसार निर्धारित करती हूं :–

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन (आँकड़े रूपयों में)	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	ब	8060.00	268.67	130.00	4.33	8190.00	273.00
		स	7800.00	260.00	130.00	4.33	7930.00	264.33
2	अर्ध्दकुशल	ब	8710.00	290.33	130.00	4.33	8840.00	294.67
		स	8450.00	281.67	130.00	4.33	8580.00	286.00
3	कुशल	ब	9490.00	316.33	130.00	4.33	9620.00	320.67
		स	9230.00	307.67	130.00	4.33	9360.00	312.00
4	उच्च कुशल	ब	10270.00	342.33	130.00	4.33	10400.00	346.67
		स	10010.00	333.67	130.00	4.33	10140.00	338.00

टीप :–

- **जोन 'ब'–** नगर पालिक निगम रायगढ़ सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 08 कि.मी. तक का क्षेत्र
- **जोन 'स'–** उपरोक्त 'ब' में उल्लेखित क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष समस्त क्षेत्र।
- उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें जिले के वेबसाईट WWW.raigarh.gov.in एवं श्रम विभाग की वेबसाईट WWW.cglabour.gov.in पर भी उपलब्ध है। **जिसमें उच्च कुशल वर्ग के संबंध में भी अवलोकन किया जा सकता है।**

नियम एवं शर्ते/टीप :–

1/ वर्कचार्ज कंटीजेंसी पेड एम्प्लाई पर उपयुक्त दरें प्रभावशील नहीं होगी।

2/ सप्ताहिक अवकाश को ध्यान में रखकर दरें निर्धारित की गई है। यदि किसी संदर्भ में एक दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो, तो मासिक में 30 का भाग दिया जाकर निकाला जा सकेगा।

3/ उपरोक्त बढ़ी हुई दरें संबंधित सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है। यदि कोई श्रेणी अवशेष रहतो हो तो अकुशल श्रेणी के लिए रूपये 7930.00, अर्ध्दकुशल के लिए 8580.00, कुशल के लिए 9360.00 एवं उच्च कुशल के लिए 10140.00 के मान से देय होगा।

क्रमशः..:02

4/ उपर्युक्त सभी न्यूनतम दरें स्त्री/पुरूष को समान रूप से देय होगी।

5/ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 303/आर./577/92/नि.–5/चार,दिनांक 30.06.1992 की कंडिका (क) (चार) के अनुसार यदि किसी पद वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी नियोजनों के अधीन समतुल्य पद के लिए निर्धारित वेतन से अधिक निर्धारित है, तो उसमें तब तक कोई वृध्दि नहीं की जावेगी जब तक कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें उसके बराबर नहीं हो जाता।

6/ अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है। इसलिए दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की पात्रता नहीं है।

7/ जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलैण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह के एक दिन का वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी।

कलेक्टर
रायगढ़,(छ.ग.)

पृ. क्र./ 14220 /वित्त–लेखा/2017 रायगढ़,दिनांक 21/11/2017

प्रतिलिपि :–

1/ सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
2/ श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
––– की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3/ समस्त कलेक्टर ....छत्तीसगढ़।
4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत रायगढ़।
5/ सर्व कार्यालय/विभाग प्रमुख जिला–रायगढ़।
6/ जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़,(छ.ग.)।
7/ आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़,(छ.ग.)।
8/ सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला–रायगढ़,(छ.ग.)।
9/ सर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय जिला–रायगढ़,(छ.ग.)।
10/ सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पालिक/नगर पंचायत, जिला–रायगढ़,(छ.ग.)
–– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11/ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रायगढ़,(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिले के वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12/ सहायक संचालक, जनसम्पर्क रायगढ़,(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
रायगढ़,(छ.ग.)
21/11/17